

27/6/22 जगावणी पेच हुई। वादी स्वयं अनुपस्थित।
बार-बार आवाज लगावानी गयी, आवाज लगवाने
के उपरान्त भी वादी की ओर से कोई उपस्थित
नहीं आया। उक्त अनुपस्थित रहने से वादी का
वाद पत्र अफ हाजरी अफ पेंची में खारीज

किता जाता है, पत्रावली फॉर्मल शुभा
होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर
दाखिल है।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)